कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष –0542 222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Phone- 0542 222689

5004

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/2079/2011, दिनांक : 10 दिसम्बर, 2011

स्मरण पत्र

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबंधक,
समस्त अनुदानित महाविद्यालय,
सम्बद्ध–महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषय : अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रमों के शिक्षकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

सचिव उ0प्र0 शासन उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र संख्या 2218/सत्तर–2–2011–16(406)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 (जो विश्वविद्यालय के पत्रांक कु0स0–सम्बद्धता/1795/2011 दिनांक 13 सितम्बर, 2011 द्वारा समस्त अनुदानित महाविद्यालयों को पृष्ठांकित है) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के आलोक में पूर्व प्रतिस्थापित व्यवस्था शिक्षण शुल्क के 75–80 प्रतिशत धनाराशि के स्थान पर समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के सकल आय का 75–80 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है।

उक्त के आलोक में आपको पुनः सूच्य है कि शासन के उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी सूचनार्थ।
2. सहायक कुलसचिव–सम्बद्धता।
3. **प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी** को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव